SATELLITE COMMUNICATION SYSTEMS – NEW NORMS

The New Recommendations on Licensing Framework for Establishing and Operating Satellite Earth Station Gateway (SESG) will unleash the next wave of digitlisation

PROVISIONS RELATING TO ESTABLISHMENT AND OPERATION OF SATELLITE EARTH STATION GATEWAYS UNDER THE EXISTING LICENSING FRAMEWORK

Satellite Earth Station Gateway is a key component of satellite communication systems. At present, an entity needs (a) a wireless operating license, and (b) a service license for operating satellite communication systems in the country. Through a notification dated 24.11.2014, DoT provided a clarification in respect of operation of satellite communication systems in the country:

"This is to clarify that as per the Indian regulatory provisions, for operating satellite communication systems in India, be it Broadcasting Satellite (satellite-to-earth) Service or telecommunication (satellite-to-earth and earth-to-satellite) service, all entities, including government entities, need to obtain Service license and also Wireless operating license.

For broadcasting satellite services like Direct-to-Home (DTH), TV Uplink, Digital Satellite News Gathering Service (DSNG), etc., Ministry of Information & Broadcasting (MI&B) is the licensing authority. For interactive services like VSAT Services,

सैटेलाइट संचार प्रणाली – नये मानदंड

मौजूदा लाइसेंसिंग ढ़ांचे के तहत सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और संचालन से संबंधित प्रावधान

मौजूदा लाइसेंसिंग ढ़ांचे के तहत सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और संचालन से संबंधित प्रावधान

सैटेलाइट अर्थस्टेशन गेटवे सैटेलाइट संचार प्रणालियों का एक प्रमुख घटक है। वर्तमान में, एक इकाई को (ए) एक वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की आवश्यकता होती और (बी) देश में सैटेलाइट संचार प्रणालियों के संचालन के लिए एक सेवा लाइसेंस की आवश्यकता है। दिनांक **24.11.2014** की एक अधिसूचना के माध्यम से डॉट ने देश में सैटेलाइट संचार प्रणालियों के संचालन के संबंध में एक स्पष्टीकरण प्रदान कियाः

'यह स्पष्ट करना है कि भारतीय नियामक प्रावधानों के अनुसार भारत में सैटेलाइट संचार प्रणालियों के संचालन के लिए, चाहे वह ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट (सैटेलाइट से पृथ्वी) सेवा या दूरसंचार (सैटेलाइट से पृथ्वी और पृथ्वी से सैटेलाइट) सेवा हो, सरकारी संस्थाओं सहित सभी संस्थाओं को सेवा लाइसेंस और वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।

डॉयरेक्ट-टू-होम (डीटीएच), टीवी अपलिंकिंग, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग सर्विस (डीएसएनजी) आदि जैसी सैटेलाइट सेवाओं के प्रसारण के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईएंडबी) लाइसेंसिंग प्राधिकरण है। वीसैट सेवाओं जैसे इंटरेक्टिव सेवाओं के लिए, डॉट लाइसेंसिंग प्राधिकरण है। किसी भी हाइब्रिड सेवा के लिए संबंधित सेवा लाइसेंस इन दोनों प्राधिकरणों से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

DoT is the licensing authority. For any hybrid service, respective service license needs to be obtained from both these authorities.

In addition to these above service licenses, the entities need to obtain wireless licenses and uplink clearances from Wireless Planning & Coordination (WPC), DoT and Network Operation & Control Centre (NOCC), DoT, respectively, for the operations of the satellite network.

Internet Service Provider (ISP)/Internet Protocol Television (IPTV) license alone is not sufficient to provide either Audio Visual or Broadband Wireless Access services through satellite.

Even government agency engaged in Broadcasting or Telecommunication needs to obtain such service license, uplink/ downlink license, operating licenses from MI&B or DoT or both, as the case may be."

DoT is the licensing authority for telecommunication services, while Ministry of Information & Broadcasting (MIB), Government of India is the licensing authority for broadcasting services in the country. In respect of telecommunication services, DoT currently follows a regime of Unified License in terms of the provisions of Section 4 of Indian Telegraph Act, 1885. DoT provides authorizations for provision of telecommunications services under Unified License to eligible persons. In respect of broadcasting services, MIB grants licenses/ permissions for uplinking/ downlinking of TV channels, uplinking Hub/ Teleport, uplink facility by a News Agency, use of Satellite News Gathering (SNG)/ Digital Satellite News Gathering (DSNG), DTH, HITS etc.

At present, there is no specific license/ authorization for establishment and operation of Satellite Earth Station Gateway for the purpose of providing satellite-based resources to service licensees. The service authorizations under Unified License, which deal with the provision of satellite communication services, are enumerated below:

GMPCS SERVICE AUTHORIZATION

The relevant provisions of GMPCS Service authorization (Chapter XII) under Unified License are reproduced below:

"The licensee may provide, in its area of operation, all types of mobile services, including voice and non-

इन उपरोक्त सेवा लाइसेंसों के अलावा, सैटेलाइट नेटवर्क के संचालन के लिए संस्थाओं को क्रमशः वायरलेस योजना और समन्वय (डब्लूपीसी), डॉट और नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर (एनओसीसी), डॉट से वायरलेस लाइसेंस और अपलिंकिंग क्लीयरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी)/इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) लाइसेंस अकेले सैटेलाइट के माध्यम से ऑडियो विजुअल या ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस सेवायें प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

यहां तक कि ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन्स में लगी सरकारी एजेंसी को भी इस तरह के सर्विस लाइसेंस, अपलिंक/डाउनलिंक लाइसेंस, एमआईएंडबी या डॉट या दोनों से ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, मामला जैसा भी हो।

डॉट दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण है, जबकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी), भारत सरकार देश में प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण है। दूरसंचार सेवाओं के संबंध में डॉट वर्तमान में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, **1885** की धारा **4** के प्रावधानों के अनुसार एकीकृत लाइसेंस की व्यवस्था का पालन करता है। डॉट पात्र व्यक्तियों को एकीकृत लाइसेंस के तहत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण प्रदान करता है। प्रसारण सेवाओं के संबंध में, एमआईबी टीवी चैनलों के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग, अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट, समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंक सुविधा, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (एसएनजी)/ डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (डीएसएनजी), डीटीएच, हिट्स आदि के उपयोग के लिए लाइसेंस/अनुमति देता है।

वर्तमान में सेवा लाइसेंसधारियों को सैटेलाइट आधारित संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना और संचालन के लिए कोई विशिष्ट लाइसेंस/प्राधिकार नहीं है। एकीकृत लाइसेंस के तहत सेवा प्राधिकरण, जो सैटेलाइट संचार सेवाओं के प्रावधान संबंधित हैं, नीचे दिये गये हैंः

जीएमपीसीएस सेवा प्राधिकरण

एकीकृत लाइसेंस के तहत जीएमपीसीएस सेवा प्राधिकरण (अध्याय **13**) के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिये गये हैंः

'*लाइसेंसधारी सर्किट और/या पैकेट स्विच सहित किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपकरण का उपयोग करते हुए जीएमपीसीएस गेटवे की*

voice messages, data services by establishing GMPCS Gateway utilizing any type of network equipment, including circuit and/or packet switches. The licensees may also provide satellite-based data connectivity to the IoT devices/ Aggregator devices.

The Licensee shall establish Land Earth Station Gateway in India for the purpose of providing Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPCS) Service. GMPCS Service may be provided using one or more Satellite Systems provided that the Land Earth Station Gateway Switch is established separately in India for each Satellite System.

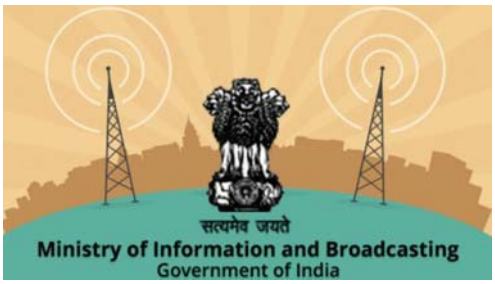

The Licensee shall disclose complete details on terms and conditions of the contracts/ licenses entered into with its parent/associate company and/or space-segment/ satellite-system owner/ operator, including those contained in contracts/ licenses issued by the Governments/Authorities of the country where the parent/associate company is registered and/or carries on its business prior to grant of license and before security clearance for the service in India. The information so furnished to the Licensor along with authenticated copies of all such contracts/ licenses shall be certified to be true and correct to the best knowledge of the licensee. The information shall be regularly updated, as and when any changes occur, during the validity of the license.

The Land Earth Station Gateway Switch for provision of GMPCS Service must be commissioned within 12 months from the date of frequency allotment by WPC. The Licensee shall approach WPC for frequency allotment within 1 month of date of allocation of transponder bandwidth in the concerned Satellite System.

For the purpose of verification of the commissioning of the applicable system, Licensee shall register with the Network Operations Control Centre (NOCC) of DoT, as per the prescribed procedure and payment of prescribed charges.

The operation and maintenance center of the GMPCS Gateway shall also be located in India. The Licensee shall demonstrate the system capabilities

स्थापना करके अपने संचालन के क्षेत्र में सभी प्रकार की मोबाइल सेवा प्रदान कर सकता है, जिसमें वॉयस और नॉन वॉयस संदेश, डेटा सेवायें शामिल हैं। लाइसेंसधारी आईओटी उपकरणों/एग्रीगेटर उपकरणों को सैटेलाइट आधारित डेटा कनेक्टिविटी भी प्रदान कर सकते हैं।

सैटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन प्रदान करने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी भारत में लैंड अर्थस्टेशन गेटवे स्थापित करेगा। जीएमपीसीएस सेवा एक या एक से अधिक सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करके प्रदान की जा सकती है, बशर्ते की भारत में प्रत्येक सैटेलाइट सिस्टम के लिए लैंड अर्थस्टेशन गेटवे स्विच अलग से स्थापित किया गया हो।

लाइसेंसधारी अपनी मूल/सहायक कंपनी और/या स्पेस सेगमेंट/सैटेलाइट सिस्टम के मालिक/ऑपरेटर के साथ किये गये अनुबंधों/लाइसेंस के नियमों और शर्तों पर पूर्ण विवरण प्रकट करेगा, जिसमें देश की सरकारों/प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये अनुबंध/लाइसेंसों में शामिल है, जहां मूल/सहयोगी कंपनी पंजीकृत हैं और/या लाइसेंस प्रदान करने से पहले और भारत में सेवा के लिए सुरक्षा मंजूरी से पहले अपना व्यवसाय करती है। लाइसेंसर को दी गयी जानकारी के साथ-साथ ऐसे सभी अनुबंधों/लाइसेंस की प्रमाणित प्रतियों को लाइसेंसधारी के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य व सही प्रमाणित किया जायेगा। लाइसेंस की वैधता के दौरान, जब भी कोई परिवर्त न होता है सूचना को नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।

*जीएमपीएस सेवा के प्रावधान के लिए लैंड अर्थस्टेशन गेटवे स्विच को डब्लूपीसी द्वारा फ्रीक्वेंसी आवंटन की तारीख से **12** महीने के भीतर चालू किया जाना चाहिए। लाइसेंसधारी संबंधित सैटेलाइट सिस्टम में ट्रांसपौंडर बैंडविड्थ के आवंटन की तारीख के **1** महीने के भीतर फ्रीक्वेंसी आवंटन के लिए डब्लूपीसी से संपर्क करेगा।*

लागू प्रणाली के चालू होने के सत्यापन के उद्देश्य से, लाइसेंसधारी निर्धारित प्रक्रिया और निर्धारित शुल्कों के भुगतान के अनुसार दूरसंचार विभाग के नेटवर्क संचालन नियंत्रण केंद्र (एनओसीसी) के साथ पंजीकरण करेगा।

जीएमपीसीएस गेटवे का संचालन और रखरखाव केंद्र भी भारत में स्थित होगा। लाइसेंसधारक भारत में संचालन शुरू करने से

with respect to security aspects, including monitoring to the Licensor or its authorized representative prior to starting of operations in India.

The designated Authority of the Central/ State Government as conveyed by the Licensor from time to time shall have the right to monitor the telecommunication traffic in every Gateway set up in India.

Adequate monitoring facility should be made available by the Licensee at the GMPCS Gateway in India to monitor all traffic (traffic originating/ terminating in India) passing through the applicable system."

COMMERCIAL VSAT CLOSED USER GROUPS (CUG) SERVICE AUTHORIZATION

This service authorization envisages to provide data connectivity service to CUG using a satellite system. For providing the services, the licensee is required to establish Satellite Earth Station Gateway in India. The relevant provisions of Commercial VSAT CUG Service Authorization under Unified License are reproduced below:

"*The HUB Station shall be operated and maintained by the Licensee subject to the following conditions:*

(i) The Hub station as well as all the VSATs shall be within the geographical boundary of India.

(ii) The VSAT at the premises of customer/users should have a logo prominently displayed indicating the name of VSAT Licensee.

(iii) The Licensor or its representative will have access to the HUB as well as the technical facilities provided by the Licensee for monitoring, inspection, etc.

(iv) Before start of operation from Hub Station, necessary clearances from Network Operations Control Center (NOCC) on payment of prescribed charges will be taken by the Licensee.

The Licensee shall roll out the network by installing

पहले लाइसेंसर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को निगरानी सहित सुरक्षा पहलुओं के संबंध में सिस्टम क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा।

लाइसेंसर द्वारा समय-समय पर बताये गये केंद्र/राज्य सरकार के नामित प्राधिकरण को भारत में स्थापित प्रत्येक गेटवे में दूरसंचार ट्रैफिक की निगरानी करने का अधिकार होगा।

लागू प्रणाली से गुजरने वाले सभी ट्रैफिक (भारत में शुरू/समाप्त होने वाले ट्रैफिक) की निगरानी के लिए लाइसेंधारी द्वारा भारत में जीएमपीसीएस गेटवे पर पर्याप्त निगरानी सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

कमर्शियल वैट क्लोज्ड ग्रुप (सीयूजी) सेवा प्राधिकरण

यह सेवा प्राधिकरण एक सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग करके सीयूजी को डेटा कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। सेवायें प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारी को भारत में सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे स्थापित करना आवश्यक है। एकीकृत लाइसेंस के तहत वाणिज्यिक वैट सीयूजी सेवा प्राधिकरण के प्रासंगिक प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किये गये हैंः

हब स्टेशन का संचालन और रखरखाव लाइसेंसधारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः

(1) हब स्टेशन के साथ सभी वीएसएटी भारत के भौगोलिक सीमा के भीतर होंगे

(2) ग्राहक/उपयोगकर्ताओं के परिसर में वीएसएटी एक लोगो प्रमुखता के साथ प्रदर्शित होना चाहिए जिसमें वीएसएटी लाइसेंसधारी का नाम दर्शाया गया हो।

(3) लाइसेंसर या उसके प्रतिनिधि को हब के साथ-साथ निगरानी, निरीक्षण आदि के लिए लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली तकनीकी सुविधाओं तक पहुंच होगी।

(4) हब स्टेशन से संचालन शुरू करने से पहले, लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (एनओसीसी) से आवश्यक मंजूरी ली जायेगी।

*लाइसेंसधारी डब्लूपीसी द्वारा फ्रीक्वेंसी आवंटन की तारीख से **12** महीने के भीतर स्टार नेटवर्क कॉनफिगुरेशन के लिए एक हब*

and commissioning a HUB Station for Star Network configuration or at least two VSAT Terminals in case of Mesh Network configuration within 12 months from the date of frequency allotment by WPC. The Licensee shall approach WPC for frequency allotment within 1 month of date of allocation of transponder bandwidth by Department of Space (DoS) or space segment provider duly authorized by DoS.

For the purpose of verification of the commissioning of the applicable system, Licensee shall register with the Network Operations Control Centre (NOCC) of DoT, as per the prescribed procedure.

Mandatory performance verification of HUB Station will be carried out by NOCC, or any other agency authorized by the Licensor for this purpose on payment of necessary testing charges by Licensee."

LICENSE FOR PROVISION OF INTERNET SERVICES (ISP LICENSE)

These licenses were issued prior to Unified License regime which was introduced in 2013. Relevant provisions of the ISP license are as below:

"Licence Internet Service to any VSAT subscriber (who could be served by a shared hub commercial service provider or captive private VSAT network) can be provided, if the VSAT is located within the service area of the ISP. For this purpose, a direct interconnection of VSAT or VSAT-hub through leased line obtained from an authorised provider to the ISP's node/server shall be permitted only for the flow of Internet traffic. The ISP shall provide to the Licensor a monthly statement of VSAT subscribers served with their locations and details of leased line interconnection with the VSAT hub. The VSAT hub, however, need not be located in the service area of the ISP.

Licensee may install operate and commission International Internet Gateway using satellite or submarine cable as medium after obtaining security clearance/approval from Licensor.

*स्टेशन या मेश नेटवर्क कॉफिगुरेशन के मामले में कम से कम दो वीएसएटी टर्मिनलों को स्थापित और चालू करके नेटवर्क को रोल आउट करेगा। लाइसेंसधारक अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) द्वारा ट्रांसपौंडर बैंडविड्थ के आवंटन की तारीख के **1** महीने के भीतर फ्रीक्वेंसी आवंटन के लिए डब्लूपीसी या डीओएस द्वारा विधिवत अधिकृत अंतरिक्ष खंड प्रदाता से संपर्क करेगा।*

लागू प्रणाली के चालू होने के सत्यापन के उद्देश्य से, लाइसेंसधारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दूरसंचार विभाग के नेटवर्क संचालन नियंत्रण केंद्र (एनओसीसी) के साथ पंजीकरण करेगा।

लाइसेंसधारक द्वारा आवश्यक परीक्षण शुल्क के भुगतान पर एनओसीसी, या इस उद्देश्य के लिए लाइसेंसकर्ता द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा हब स्टेशन का अनिवार्य प्रदर्शन सत्यापन किया जायेगा।

इंटरनेट सेवाओं (आईएसपी) के प्रावधान के लिए लाइसेंस

ये लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था से पहले जारी किये गये थे जिसे **2013** में पेश किया गया था। आईएसपी लाइसेंस के प्रासंगिक प्रावधान को नीचे दिया जा रहा हैः

किसी भी वीएसएटी ग्राहक को लाइसेंस इंटरनेट सेवा (जो एक साझा हब वाणिज्यिक सेवा प्रदाता या कैप्टिव निजी वीएसएटी नेटवर्क द्वारा सेवा दी जा सकती है) प्रदान की जा सकती है, यदि वीएसएटी आईएसपी के सेवा क्षेत्र के भीतर स्थित है। इस उद्देश्य के लिए आईएसपी के नोड/सर्वर के लिए एक अधिकृत प्रदाता से प्राप्त लीज्ड लाइन के माध्यम से वीएसएटी या वीएसएटी–हब का सीधा इंटरकनेक्शन केवल इंटरनेट ट्रैफिक के प्रवाह के लिए अनुमति दी जायेगी। आईएसपी लाइसेंसर को वीएसएटी ग्राहकों को उनके स्थानों के साथ सेवा प्रदान करने का मासिक विवरण और वीएसएटी हब के साथ लीज्ड लाइन इंटरकनेक्शन का विवरण प्रदान करेगा। हालांकि वीसेट हब को आईएसपी सेवा क्षेत्र में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

लाइसेंसधारी लाइसेंसर से सुरक्षा मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के बाद माध्यम के रूप में सैटेलाइट या पनडुब्बी केबल का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे स्थापित कर सकता है और चालू कर सकता है।

For use of space segment and setting up and operationalisation of Earth Station etc., LICENSEE shall coordinate with and obtain clearance from Network Operations Control Centre (NOCC), apart from obtaining SACFA clearance and clearance from other authorities."

LICENSE FOR PROVISION OF UNIFIED ACCESS SERVICES

These licenses were issued prior to Unified License regime which was introduced in 2013. Relevant provisions of the license are given below:

"*For use of space segment and setting up and operationalisation of Earth Station etc., LICENSEE shall directly coordinate with and obtain clearance from Network Operations and Control Centre (NOCC), apart from obtaining SACFA clearance and clearance from other authorities.*"

Existing Broadcasting Service Licenses/ Permissions.

A brief description in respect of DTH license and Teleport permission is given below:

(1) DTH License

As per the terms and conditions of the License for providing DTH Broadcasting Service, granted by the MIB, the Licensee is required to establish Uplink Earth Station for providing the DTH service. Clause 13.1 of Article-13, related to the Commissioning of DTH Platform, is reproduced below:

"*The Licensee shall establish and complete the installation of the uplink earth station in India, including the monitoring facility, etc., and commission the DTH Platform within twelve months from the date of issue of the SACFA clearance by the WPC after obtaining wireless operational license and would submit a report to the Licensor in this regard.*"

(2) Teleport Permission

MIB issues permission for 'Setting Up of

स्पेस सेगमेंट के उपयोग और अर्थस्टेशन आदि की स्थापना और संचालन आदि के लिए लाइसेंसधारी एसएसीएफए मंजूरी और अन्य प्राधिकरणों से मंजूरी प्राप्त करने के अलावा नेटवर्क संचालन नियंत्रण केंद्र (एनओसीसी) के साथ समन्वय करेगा और उससे मंजूरी प्राप्त करेगा।'

यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज के प्रावधान के लिए लाइसेंस

ये लाइसेंस एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था से पहले जारी किये गये थे जिसे **2013** में पेश किया गया था। लाइसेंस के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिये जा रहे हैंः

स्पेस सेगमेंट के उपयोग और अर्थस्टेशन आदि की स्थापना और संचालन आदि के लिए लाइसेंसधारी एसएसीएफए मंजूरी और अन्य प्राधिकरणों से मंजूरी प्राप्त करने के अलावा, सीधे नेटवर्क संचालन और नियंत्रण केंद्र (एनओसीसी) के साथ समन्वय करेगा और मंजूरी प्राप्त करेगा।

मौजूदा प्रसारण सेवा लाइसेंस/अनुमतियांः

डीटीएच लाइसेंस और टेलीपोर्ट अनुमति के संबंध में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः

(1) डीटीएच लाइसेंस

एमआईबी द्वारा दी गयी डीटीएच प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस के नियम व शर्तो के अनुसार लाइसेंसधारक को डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए अपलिंक अर्थस्टेशन स्थापित करना आवश्यक है। डीटीएच प्लेटफॉर्म की कमीशनिंग से संबंधित अनुच्छेद–**13** के खंड **13.1** को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा हैः

*'लाइसेंसधारी निगरानी सुविधा सहित भारत में अपलिंक अर्थस्टेशन की स्थापना और निर्माण का काम पूरा करेगा और वायरलेस संचालन प्राप्त करने के बाद डब्लूपीसी द्वारा एसएसीएफए मंजूरी जारी करने की तारीख से **12** महीने के भीतर डीटीएच प्लेटफॉर्म चालू करेगा। लाइसेंस और इस संबंध में लाइसेंसर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।'*

(2) टेलीपोर्ट अनुमति

एमआईबी भारत से टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग के लिए दिनांक **05.12.2011** के नीतिगत दिशानिर्देशों के

Uplinking Hub/Teleports' as per the Policy Guidelines for Uplinking of Television Channels from India dated 05.12.2011. The relevant provisions of the said guidelines are reproduced below:

"*The company can uplink either in C or Ku Band. Uplinking in C Band would be permitted both to Indian as well as foreign satellites. However, proposals envisaging use of Indian satellites will be accorded preferential treatment. On the other hand, uplinking in Ku Band would be permitted through Indian satellite only, subject to the condition that this permission is not used to run/operate DTH service without proper license, to which separate guidelines apply. Satellite to be used should have been coordinated with INSAT System.*

The company shall comply with the terms and conditions of Wireless Operational License to be issued by the WPC Wing, Ministry of Communications & IT.

The applicant will pay the license fee and royalty, as prescribed by WPC Wing from time to time, annually, for the total amount of spectrum assigned to Hub/Teleport station, as per norms & rules of the WPC Wing." ■

सत्यमेव जयते
Department of Telecommunications
Ministry of Communications
Government of India

अनुसार अपलिंकिंग हब/टेलीपोर्ट की स्थापना के लिए अनुमति जारी करता है। उक्त दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान नीचे फिर से प्रस्तुत किया जा रहा हैः

कंपनी सी या केयू बैंड में अपलिंक कर सकती है। सी बैंड में अपलिंकिंग की अनुमति भारतीय और विदेशी दोनों सैटेलाइटों को दी जायेगी। हालांकि, भारतीय सैटेलाइटों को उपयोग की परिकल्पना करने वाले प्रस्तावों को तरजीह दी जायेगी। दूसरी ओर केयू बैंड में अपलिंकिंग की अनुमति केवल भारतीय सैटेलाइट के माध्यम से दी जायेगी, बशर्ते कि इस अनुमति का उपयोग उचित लाइसेंस के बिना डीटीएच सेवा चलाने/संचालित करने के लिए नहीं किया जाता है, जिसके लिए अलग दिशानिर्देश लागू होते हैं। उपयोग किये जाने वाले सैटेलाइट को इन्सैट प्रणाली के साथ समन्वित किया जाना चाहिए था।

कंपनी डब्लूपीसी विंग, संचार और आई टी मंत्रालय द्वारा जारी किये जाने वाले वायरलेस ऑपरेशनल लाइसेंस के नियम व शर्तों का पालन करेगी।

डब्लूपीसी विंग के मानदंडों और नियमों के अनुसार हब/टेलीपोर्ट स्टेशन को सौंपे गये स्पेक्ट्रम की कुल राशि के लिए आवेदक को समय-समय पर डब्लूपीसी विंग द्वारा निर्धारित लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। ■

SATELLITE & Cable TV
INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

- In-depth & Unbiased Market Information
- Technology Breakthroughs
- Reaches More Than 40,000 Personnel Across The Satellite & Cable TV Industry every month

... You Know What You Are Doing
But Nobody Else Does
ADVERTISE NOW !

Contact:
Mob.: +91-7021850198
Email: scat.sales@nm-india.com